

क्र. 1362 / आठ व 0 / 2014
29-9-14

संख्या-11/2731/आठ-1-14-129विविध/2012

प्रेषक,

सदाकान्त

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
50प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2014

विषय : आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण हेतु जी.आई.एस. आधारित लैण्ड रिकार्ड सिस्टम को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 के अन्तर्गत भूमि जुटाव एवं प्रबन्धन हेतु प्राविधानित रणनीति के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण एवं इस प्रयोजनार्थ जी.आई.एस. आधारित लैण्ड रिकार्ड सिस्टम को अपनाये जाने की अपेक्षा है। उक्त के अनुपालन में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्वामित्व की भूमियों के सम्बन्ध में उनकी स्थिति (राजस्व ग्राम का नाम, तहसील, जनपद आदि), भूखण्ड/खसरा संख्या एवं उनका क्षेत्रफल, वर्तमान भू-उपयोग, महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग, भूमि मूल्य तथा भूमि एवं सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्य सुसंगत सूचनाओं की जनसामान्य को एक ही स्थान पर सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

2- अतएव, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भूमि एवं सम्पत्तियों के अभिलेखों के आधुनिकीकरण एवं रख-रखाव के लिए आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण स्तर पर जी.आई.एस. आधारित लैण्ड रिकार्ड सिस्टम स्थापित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

- 2.1 भूमि एवं सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों का कम्प्यूट्राइजेशन।
- 2.2 समस्त टैक्सचुअल रिकार्ड (नामान्तरण अभिलेखों सहित) एवं भूमि से सम्बन्धित अन्य आंकड़ों की डाटा इन्ट्री/डाटा कन्वर्जन आदि।
- 2.3 राजस्व मानचित्रों/कैडस्ट्रल मैप्स का डिजीटाइजेशन।
- 2.4 महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान्स/ले-आउट प्लान्स/योजनाओं का डिजीटाइजेशन।
- 2.5 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा सजित सम्पत्तियों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों का कम्प्यूट्राइजेशन।

- 2.6 टैक्सचुअल एवं स्पेशियल डाटा तथा डाटा की विभिन्न परतों यथा-सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफ, राजस्व मानचित्र, ले-आउट प्लान, आदि का इन्टीग्रेशन।
 - 2.7 आधुनिक रिकार्ड रूम/लैण्ड रिकार्ड मैनेजमेंट सेल/डेटा बैंक की स्थापना।
 - 2.8 जी.आई.एस. आधारित लैण्ड रिकार्ड सिस्टम के संचालन एवं रख-रखाव हेतु ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग।
 - 2.9 अन्य सुसंगत कार्यवाही, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक हो।
- कृपया उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन और आवास बन्धु को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या: 11/2731 (1)/आठ-1-14-129विविध/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
- 2- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
- 3- अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव